



International Journal of Primary and Secondary Research

International, Double-Blind, Quarterly, Peer-Reviewed, Refereed,
Edited and Open Access Research Journal
Journal homepage: ijpsr.co.in



बृज प्रदेश और नवगठित भारतीय राज्यों में क्षेत्रीय विकास : एक तुलनात्मक अध्ययन सत्यवीर सिंह

राजनीतिशास्त्र विभाग, आर. बी. एस. महाविद्यालय, आगरा

*Corresponding author. E-mail address: satyaveerchaudhary539@gmail.com

DOI- <https://doi.org/10.59436/ijpsr.v2i3.01.hin.3139-342X>

ARTICLE INFO

Article history:

Received 18 April 2026

Received in revised form 10

June 2026

Accepted 20 August 2026

Available online 03 September 2026

संकेताक्षर:

बृज प्रदेश, उत्तराखंड विकास,
झारखंड विकास, छत्तीसगढ़
विकास, तेलंगाना विकास,
भारत के अन्य राज्यों में क्षेत्रीय
सीमांकन।

ABSTRACT

पृथक् राज्यों के लिए शुरू होने वाले आन्दोलन का अपना इतिहास रहा है। इसका सीधा संबंध संघवाद के विषय में कांग्रेसी समझ से भी था। जिसके आधार पर पृथक् राज्य के लिए उठने वाली माँगों को प्रोत्साहित या हतोत्साहित किया गया। कांग्रेस भारत के संघीय स्वरूप के विषय में शुरूआत से ही सहमत थी लेकिन इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति सर्वप्रथम 1916 ई. में हुई जब कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के माध्यम से संघवाद को एक मूल गुण के रूप में स्वीकार किया। इसने क्षेत्रीय रूप से पृथक् राज्य की माँग को प्रोत्साहित किया। सन् 1922 ई. में कांग्रेस ने भाषा के आधार पर बनने वाले राज्य के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया। इसके लिए कांग्रेस पर राष्ट्रीयताओं के लिए काम करने वाले समूहों ने दबाव डालने का काम किया। ये समूह भाषा आधारित राज्यों के लिए पहले से ही प्रयत्नशील थे। 1927 ई० में भारत सरकार और भारत के कार्यालयों में उड़िया, कन्नड, आन्ध्र, तमिल, बांग्ला और झारखण्ड से जुड़ी राष्ट्रीयताओं की मान्यता के और भाषा आधारित राज्यों के पुनर्गठन के लिए ज्ञानों की बाढ़ आ गई। नये राज्यों की माँग को इसी के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। जैसे-जैसे इन आबादियों में दल चेतना बढ़ी, वैसे-वैसे उनमें यह भावना भी आई कि वे मुक्त सामूहिक जीवन व्यतीत करें। ऐसा जीवन जो वर्तमान प्रांतीय सीमाओं और विभाजनों द्वारा अवरुद्ध नहीं हो। ये प्रान्त भाषागत आधार पर नहीं बरन् अंग्रेजों के बढ़ते हुये प्रभाव के युग में प्रशासनिक सुविधा के लिए बने थे। इनमें से कुछ राष्ट्रीय इकाईयों ने जैसे बिहारियों, आन्ध्रवासियों, कर्नाटकवासियों जिनकी अपनी पृथक् भाषा और संस्कृति थी, प्रान्तों के पुनर्गठन की माँग की, जिससे वे भूक्षेत्रों की दृष्टि से भी एकीकृत हो जाये।

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश के आगरा मण्डल जिसमें जिला आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, सम्मिलित हैं एवं इसके पश्चिम में राजस्थान के जिला भरतपुर, धौलपुर तथा दक्षिण में मध्यप्रदेश के जिला मुरैना एवं भिण्ड की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति समान प्रकार की है।¹ जिसमें ऐसी विशेषताएं हैं, जो विश्व के किसी भी नगरों में नहीं मिलती हैं। आगरा विश्व का ऐसा महानगर है, जहाँ विश्व के एक से अधिक विश्वदाय स्मारक हैं, 300 मोनूमेन्ट्स हैं, पांच शिव मंदिर हैं, जैनियों का विश्व प्रसिद्ध मंदिर शौरी मंदिर है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली रेणुकाधाम है, सूरदास की तपोभूमि सूरकुटीर है। विश्व प्रसिद्ध, ताजमहल, लालकिला, फतेहपुर सीकरी, एम्माउदौला, सिकन्दरा है। विश्व की सबसे पुरानी मस्जिद सावन कटरा में है, हिन्दुस्तान की सबसे पहला अकबरी चर्च है, मुगल शासकों की राजधानी रहा है।² सन् 1861 तक आगरा संयुक्त प्रान्त का अस्तित्व था। माननीय उच्च न्यायालय आगरा में ही था। आगरा सुलहकुल नगरी के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। सिक्खों के चार गुरू-गुरूनानक देव, गुरू गोविन्द सिंह, गुरू अर्जुन देव, गुरू तेग बहादुर का आगरा में प्रवास रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आगरा में प्रवास रहा है। आगरा शहीद

भगत सिंह की कार्यस्थली रहा है।³ श्री मोतीलाल नेहरू का जन्म आगरा में ही हुआ, अविभाजित पंजाब के मुख्यमंत्री रहे सर छोटूराम, भारत के राष्ट्रपति रहे, पं. शंकर दयाल शर्मा एवं भारत के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरणसिंह की शिक्षा-दीक्षा आगरा में हुई है। मथुरा विश्वप्रसिद्ध धर्मनगरी है जहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, जिसमें वृन्दावन, गोवर्धन, बरसाना गोकुल जैसे तीर्थ स्थल हैं, अलीगढ़ तालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैनपुरी का भी अपना इतिहास है। एटा जिला घूँघरूओं के लिए एवं पटना पक्षी बिहार के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद भारत वर्ष में सुहाग नगरी के रूप में प्रसिद्ध है।⁴ तो हाथरस जिले में महाराजा महेन्द्र प्रताप जैसे यशस्वी राजा पैदा हुए जिन्होंने अपने युवा काल में राज-पाठ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। पड़ौसी जनपद भरतपुर एवं धौलपुर का भी ऐतिहासिक महत्व है जहां महाराजा जवाहर सिंह एवं महाराजा सूरजमल जैसे योद्धा पैदा हुए और भरतपुर का लोहागढ़, घना पक्षी विहार, डीग के महल विश्व प्रसिद्ध हैं।⁵ तथा इनका पड़ौसी जनपद भिंड एवं मुरैना जहां चम्बल नदी बहती है का भारतवर्ष में अपना एक अलग स्थान है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आगरा मण्डल एवं उसके आसपास के उक्त जनपदों का पौराणिक ऐतिहासिक धार्मिक महत्व जितना है शायद

उतना विश्व के किसी भी क्षेत्र का होगा।⁶ किंतु यह क्षेत्र तीन राज्यों में विभाजित होने के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक हर क्षेत्र में चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, उपेक्षित ही रहा है। भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा नियुक्ति राज्यपाल, राजदूत, उच्चायुक्त, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, सर्तकर्ता आयोग, लोकसेवा आयोग, अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग, उच्च शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग आदि में शायद ही इस क्षेत्र का कभी कोई प्रतिनिधित्व रहा हो। सन् 1955 में पुर्नगठन आयोग के सदस्य रहे श्री के.एम. पाणिक्कर एवं डा. भीमराव अम्बेडकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरणसिंह भी बड़े राज्यों को विभाजित कर छोटे राज्य बनाने के पक्षधर थे।⁷ सन् 1962 में जब तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी थी तो योजना आयोग ने उत्तरप्रदेश को पांच आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया था। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश विभाजन की माँग कोई नई नहीं है, इससे पूर्व उक्त क्षेत्र को मिलाकर बृज प्रदेश बनाने की माँग उठती रही है।⁸ इतिहास गवाह है कि अब तक बंगाल से पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास से आंध्रप्रदेश, केरल, महाराष्ट्र से गुजरात, पंजाब से हरियाणा व हिमाचल प्रदेश बनाये गये हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में से उत्तरांचल, म.प्र. से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखण्ड बनाया गया है।⁹ उक्त नये प्रदेशों के निर्माण से देश को कोई नुकसान नहीं हुआ है वरन् विकास की गति बढ़ी है। और युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हुए हैं। जिससे देश की समृद्धता भी बढ़ेगी। छोटे राज्यों में जनता का दबाव शासकों पर रहता है, जिससे शांति व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहती है वहां जन समस्याओं का निराकरण भी शीघ्र होता है, भ्रष्टाचार एवं अपराध पर अंकुश लगता है उद्योगपति अपना उद्योग लगाने के लिए लालयित रहते हैं और विकास अपने आप गति पकड़ लेता है।¹⁰

उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक विशाल राज्य है। यह 294411 वर्ग कि.मी. में फैला हुआ है। देश की जनसंख्या का लगभग 18 प्रतिशत उत्तरप्रदेश में है। यदि कर्नाटक, केरल, आंध्रप्रदेश को सम्मिलित कर लिया जाये तो भी इनकी जनसंख्या उत्तरप्रदेश के बराबर नहीं होगी। दुनिया में इतनी बड़ी जनसंख्या का कोई भी प्रदेश नहीं है। उ.प्र. की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का मुख्यालय, लखनऊ प्रदेश की विभिन्न सीमाओं से 600-700 कि.मी. की दूरी पर है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के जिला भिंड, मुरैना का मुख्यालय भोपाल 400-500 कि.मी. की दूरी पर है।¹¹ प्रशासन का मतलब है कि जनता एवं उनके शासकों की दूरी कम हो, शासक जनता को आसनी से उपलब्ध हो किंतु वर्तमान स्थिति में आगरा मण्डल के उक्त सात जनपदों, मध्य प्रदेश के जिला भिंड एवं मुरैना तथा राजस्थान के जिला भरतपुर, धौलपुर जनपदों के लिए यह सम्भव नहीं है। यही कारण है कि यह क्षेत्र आज भी विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य निर्माण के बाद विकास की ओर अग्रसर हैं। जहां प्रतिव्यक्ति आय 18000 रु. वार्षिक है, वही उ.प्र. में प्रति व्यक्ति आय 6713 है यही स्थिति लगभग म.प्र. एवं राजस्थान की है। यही नहीं

उ.प्र./म.प्र./राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या लगभग 37 प्रतिशत है। जबकि पंजाब में 12 प्रतिशत एवं हरियाणा में 20 प्रतिशत है।¹² यदि उ.प्र. एक देश होता तो विश्व का लगभग छठा सबसे बड़ा देश होता। वर्तमान में भारत वर्ष के सम्पूर्ण भूभाग का उ.प्र. पांचवा हिस्सा है,¹³ यदि इसमें राजस्थान के जनपद भरतपुर, धौलपुर, मध्यप्रदेश के भिंड, मुरैना सम्मिलित कर लिये जाए तो यह हिस्सा और अधिक हो जायेगा भारतवर्ष जिसकी आबादी इस समय लगभग 145 करोड़ है में अब भी 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किन्तु विश्व के सबसे समृद्ध एवं शक्तिशाली देश अमेरिका जिसकी आबादी लगभग 25 करोड़ है, वहां 50 राज्य है जबकि अकेले उ.प्र. की आबादी 24 करोड़ है यदि राजस्थान के जिला भरतपुर, धौलपुर मध्यप्रदेश के जिला भिंड, मुरैना सम्मिलित कर लिये जाएं तो यह आबादी 25 करोड़ के आस पास हो जायेगी। इसलिए अब अपरिहार्य हो गया है कि आगरा मण्डल के 7 जनपदों आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद एवं राजस्थान के जनपद भरतपुर, धौलपुर एवं मध्यप्रदेश के जनपद भिंड एवं मुरैना को मिलाकर इस क्षेत्र के पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक महत्व को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए बृज प्रदेश प्रांत का गठन किया जाये।¹⁴ वर्तमान केन्द्रीय कानून के अनुसार केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वे जनता की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र की ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से समानता के आधार पर वर्तमान प्रदेशों का विभाजन कर नया प्रदेश गठित कर सकती है और यदि बृज प्रदेश प्रांत का गठन होता है। तो इसके लिए हमें किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार से किसी आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि भारतवर्ष में आगरा जनपद ऐसा पहला जनपद एवं म.प्र. के जनपद भिंड, मुरैना तथा राजस्थान के जनपद भरतपुर, धौलपुर भी राजस्व की दृष्टि में किसी से कम नहीं है। बृज प्रदेश प्रांत के निर्माण के बाद सबसे पहले उक्त प्रांत में चम्बल घाटी को समतल कर औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित किया जायेगा। फिर हमारे इस नये प्रांत के युवाओं के हाथों में बंदूक नहीं कलम होगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया इस क्षेत्र के पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक महत्व को अक्षुण्ण बनाए रखने एवं इस क्षेत्र के विकास के लिए तथा युवाओं के भविष्य के लिए बृज प्रदेश प्रांत के निर्माण में सहयोग प्रदान करें।¹⁵

भारत में नये राज्य और क्षेत्रों के निर्माण का अधिकार पूरी तरह से भारत की संसद के लिए आरक्षित है। संसद नये राज्यों की घोषणा करके किसी मौजूदा राज्य से एक क्षेत्र को अलग करके, या दो या दो से अधिक राज्यों या उसके हिस्सों में विलय करके ऐसा कर सकती है। मौजूदा समय 28 राज्यों और 8 केन्द्रशासित प्रदेशों के अलावा समय के साथ भारत में कई नये राज्यों और क्षेत्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा जाता रहा है।

प्रस्तावित राज्य:-

राजस्थान - मत्स्य प्रदेश जिसमें पूर्वी राजस्थान संभावित मरूधरा राज्य पश्चिमी राजस्थान

आसाम - बोडोलैंड कार्बी आंगलोंग

बिहार - भोजपुर - बिहार के पश्चिमी, यूपी. के पूर्वी छत्तीसगढ़

उत्तरी झारखंड के भोजपुरी भाषी जिले।

मिथिला - बिहार झारखंड - मैथिली भाषी

गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र - भील प्रदेश - माइकल की 1999 की पुस्तक अनटचेवल दलित्स दा मॉडर्न इंडिया रिपोर्ट 2012 टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर में लिखा की राज्य की माँग धीरे-धीरे भरूच के जनजातीय क्षेत्रों में पकड़ बनती जा रही है।

कच्छ - गंधीनगर से सांस्कृतिक और भौगोलिक इसी नर्मदा नदी के पानी का इस क्षेत्र के खेतों तक न पहुँच पाया।

सौराष्ट्र - गुजरात के अन्य हिस्सों तुलना अविकसित क्षेत्र में बेहतर जलापूर्ति कमी, नौकरी अवसरों की कमी क्षेत्र से निरंतर प्रवासन, सौराष्ट्र गुजरात के बाकी हिस्सों में सौहार्दपूर्ण रूप से अलग - क्योंकि यहां सौराष्ट्र बोली जाती है।

कर्नाटक - तुलुनाडु और कोडुगु का संयुक्त केन्द्रिय क्षेत्र तुलुनाडु - कर्नाटक और केरल राज्य सीमा के बीच स्थित क्षेत्र, अलग संस्कृति, अलग भाषा (तुलु जिसे अधिकारिक स्थिति प्राप्त नहीं) दोनों राज्य सरकारों द्वारा इस क्षेत्र की उपेक्षा पर आधारित है। इन भागों और आरोपों का मुकाबला करने के लिए कर्नाटक और केरल राज्य सरकार ने तुलु संस्कृति को संरक्षित कर बढ़ावा देने के लिए तुलु साहित्य अकादमी का गठन।

जम्मू कश्मीर - जम्मू - भौगोलिक दृष्टि से कश्मीर घाटी और लद्दाख से अलग क्षेत्र है। डोगरी भाषा प्रधान

कश्मीर - अलग केन्द्रीय क्षेत्र

लद्दाख - अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु केन्द्रीय क्षेत्र

मध्यप्रदेश -

बघेलखण्ड, बुन्देलखण्ड तथा विन्ध्य प्रदेश भारत का एक पूर्व राज्य था। रीवा राजधानी विन्ध्य पर्वतमाला के नाम पर।

गोंडवाना तथा महाकौशल

महाकौशल - मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी घाटी के ऊपरी या पूर्वी इलाकों में स्थित। जबलपुर सबसे बड़ा शहर प्रस्तावित राजधानी।

महाकौशल क्षेत्र के खनिजों, जंगलों, जल भूमि संसाधनों में समृद्ध होते हुए भी संबंधित उद्योगों को कभी यहां स्थापित नहीं किया गया। जबलपुर शहर के कारण क्षेत्र की एक अलग सांस्कृतिक पहचान है। जिसे राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। और मध्य भारत के सबसे पुराने शहरों में एक है।

सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से, महाकौशल क्षेत्र के पड़ोसी विन्ध्य प्रदेश से काफी अलग है। मध्यप्रदेश की महाकौशल क्षेत्र से गोंडवाना राज्य के लिए समानांतर माँग इस तथ्य के कारण उत्पन्न हुई कि महाकौशल के विशाल प्रदेशों पर एक समय गोंड राजाओं द्वारा शासन किया जाता था।

मालवा - ईंदौर में प्रस्तावित राजधानी के साथ कई बार अलग मालवा राज्य की माँग उठी और राजस्थान के झुगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़।

महाराष्ट्र -

खानदेश - मध्य भारत का एक क्षेत्र जो महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में पड़ता खानदेश तापी नदी की घाटी में दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी कोने पर स्थित है।

कोंकण - भारत के पश्चिमी तट रेखा का एक उबड़ खाबड़ खंड।

महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के तटीय जिले शामिल

मराठावाडा - महाराष्ट्र के 5 क्षेत्रों में से एक औरंगाबाद मंडल समान। हैदराबाद निजाम अन्तर्गत पहले

विदर्भ - पूर्वी महाराष्ट्र का क्षेत्र अमरावती और नागपुर मंडल 1956 में राज्य पुर्नगठन आयोग ने नागपुर राजधानी साथ विदर्भ के निर्माण सिफारिश की उपेक्षा की वजह से।

मणिपुर - कूकीलैंड - कुकी लोग मणिपुर की लोग के लिए अलग राज्य माँग करते हैं।

उड़ीसा - कौशल - पश्चिमी उड़ीसा राज्य के।

तमिलनाडु - कोंगुनाडु

उत्तरप्रदेश - अवध, बूज/हरित/पश्चिमांचल, बुंदेलखंड पूर्वांचल

पश्चिमी बंगाल - गोरखलैण्ड, कामतापुर

नागालैण्ड - वृहद नागालैण्ड

एन.सी.आर. -

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - दिल्ली, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, गुडगांव, सोनीपत, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा मिलकर बना।

एन.डी.ए. 2003 में संसद के बिल पूर्णराज्य देने को किया साइन पारित नहीं हुआ।

छोटे राज्यों की माँग भारत में एक जैविक मुद्दा प्रथम राज्य पुर्नगठन आयोग ने पुर्नगठन अधिकार 1956 के तहत भाषायी अनुरूप राज्यों का सर्वाधिक व्यापक स्तर पर पुर्नगठन किया। समान भाषा। समुदाय के आधार पर राज्यों को विभाजित करने का यह विचार समय की माँग भी। संविधान का अनु-3 प्रभावित राज्यों के विधानमंडलों से परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत विधेयक के माध्यम से एक नए राज्य के गठन की शक्ति प्रदान करता है। भारत में बड़े राज्यों से छोटे राज्यों के निर्माण और संघ शासित प्रदेशों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने की अन्य कई स्वतंत्र प्रक्रिया से गुजरा है।

माँग के कारण:-

ऐतिहासिक - उदाहरण के लिए तमिलनाडु के विभाजन की माँग इस तथ्य पर आधारित थी कि अतीत में तमिल भाषी क्षेत्र में कांचीपुरम और तंजौर के समीपवर्ती राज्य सम्मिलित थे।

प्रशासनिक - नई भागों में से अधिकांश राज्यों के भीतर असमान विकास का परिणाम एक धारणा यह कि बड़े राज्यों का छोटे खण्डों में विभाजन करके, राज्य के शक्ति केन्द्रों को जन सामान्य के समीप लाकर प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। उदाहरण उत्तरप्रदेश के वृहद आकार के कारण बुंदेलखण्ड क्षेत्र का विकासात्मक पिछड़ापन उत्तराखंड के अलग होने बावजूद भी उत्तरप्रदेश जनसंख्या में ब्राजील, जापान बांग्लादेश से बड़ा है।

आर्थिक - प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद उनके लाभों से वंचित होने की भावना अलग राज्य की माँग का एक प्रभुत्व आधार है।

सामाजिक सांस्कृतिक - भाषायी विभाजन के पश्चात भी, राज्यों में व्यापक विविधता व्याप्त है। जो प्रायः कुछ नृजातीय समूहों में सांस्कृतिक रूप से पराधीनता और उत्पीड़ित होने की भावना उत्पन्न करती है। अतः नृजातीय पहचान को संरक्षित करने हेतु एक

नए राज्य की माँग की जाती है। उदाहरण- पश्चिमी बंगाल से गोरखालैंड, उत्तरपूर्व में नागालैंड, उत्तरप्रदेश से भोजपुरी भाषी पूर्वांचल।

राजनीतिक- अधिक राजनीतिक प्रभुत्व की प्राप्ति हेतु जाट बाहुल्य वाले पश्चिमी उत्तरप्रदेश में हरित प्रदेश की माँग की जा रही है। वर्तमान में यह राजनीतिक प्रभुत्व यादवों के पास हैं।

छोटे राज्यों के गठन के पक्ष में तर्क-

शक्ति का विकेन्द्रीकरण- छोटी प्रशासनिक इकाईयाँ दूरस्थ प्रांतीय सरकारों और सुदूरवर्ती राजधानियों के प्रशासन को लोगों के समीप लाएंगी। यह प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि के साथ आधुनिकीकरण की गति में तीव्रता लाने, पिछड़े क्षेत्र के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने और राज्यों को स्थानीय वास्तविकताओं के आधार पर अलग नीति बनाने में सहायता करेगा।

यह नृजातीय समूहों के मध्य पहचान की संकट की समस्या का समाधान करता है और उन्हें अपनी भाषा एवं संस्कृति को विकसित करने में सक्षम बनाता है। इससे उन्हें आंतरिक उपनिवेशवाद की भावनाओं से छुटकारा पाने में सहायता मिलती है। यह वर्तमान में बड़े आकार वाले राज्यों जैसे उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं छोटे राज्यों जैसे पंजाब हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधित्व को अधिक समानुपातिक बनाकर संघ को अधिक संतुलित बनाता है।

सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, कार्यान्वयन और आवंटन- अपेक्षाकृत समरूप छोटा राज्य सुगम सभ्य की सुविधा प्रदान करता है जो वंचित सामाजिक समूहों को संगठित होने और अपनी आवाज उठाने में सक्षम आता है। बाल्कनाइजेशन का और अधिक भय नहीं पूर्व में बाल्कनाइजेशन के भय से अलग राज्यों की भागों का विरोध किया गया था। हालांकि, स्वतंत्रता के 70 वर्षों के पश्चात अब इस तरह का भय नहीं है।

सुझाव और आगे की राह-

बेहतर अभिशासन- बेहतर लोक सेवा प्रदायगी के लिए दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचने और लोगों के मध्य विस्थापन एवं असंतोष की समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।

छोटे जिले सरकार और प्रशासन को जन सामान्य के समीप लाते हैं प्रशासन को अधिक दक्ष और विकास हेतु जबाबदेह बनाने के लिए जिला कलेक्टर तथा जिला परिषद के कार्यालय को अधिक अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं।

प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण और स्थानीय स्वशासन का

सुदृढीकरण- स्थानीय स्वशासन को अधिक शक्तियाँ प्रदान करना स्थानीय विकास हेतु अधिक कार्य...सशक्त और लाभप्रद होगा। प्रिंसिपल ऑफ़ सब्सिडैरिटी (उच्चतर स्तरों को उन कार्यों से मुक्त रखना जो निम्नतर स्तर पर दक्षतापूर्ण ढंग से सम्पादित किये जा सकते हैं) के आधार पर शक्तियों को विकेन्द्रीकृत किया जाना चाहिए।

राजनीतिक स्थिरता नीतिगत मामलों की निरंतरता पर अधिक निर्भर करती है न कि राज्यों के विशाल आकार पर एक दक्ष और तत्पर प्रशासक एक बड़े राज्य को भी अधिक संतोषजनक ढंग से

प्रबंधित कर सकता है। इस विषय पर विचार करने हेतु द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया जाना चाहिए। अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं वैज्ञानिक आधारों पर राज्यों का गठन इस मुद्दे का एक सकारात्मक समाधान हो सकता है।

केरल - 38,863 कि.मी. क्षेत्रफल

जनसंख्या - 3,34,06,061

जिले - 14

राजधानी - तिरुवंतपुरम

गठन - 1 नवम्बर 1956

विधानसभा - 140 सीट

लोकसभा - 20

राज्यसभा - 9

भौगोलिक दृष्टि से केरल उत्तर अक्षांश 8 डिग्री 17'30" और 12 डिग्री 47'40" बीच तथा पूर्वी देशान्तर 74 डिग्री 7'47 और 77 डिग्री 37'12 के बीच।

जब भारत स्वाधीन हुआ, तो दो विभिन्न रियासतों, त्रावणकोर और कोचीन को 1 जुलाई, 1949 ई. को मिलाकर त्रावणकोर-कोचीन राज्य बनाया गया। लेकिन मालाबार, चेन्नई प्रान्त का हिस्सा बना रहा। राज्यों के पुनर्गठन की योजना के अन्तर्गत त्रावणकोर-कोचीन राज्य और मालाबार को मिलाकर 1 नवंबर, 1956 ई. को केरल राज्य बनाया गया।

भूगोल:- केरल के पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पूर्व में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण में हिन्द महासागर है। इसका समुद्र तट 590 किमी. लंबा है। राज्य में पश्चिम की ओर बहने वाली अनेक छोटी-बड़ी नदियाँ हैं। पूर्व की दिशा में तीन नदियाँ बहती हैं।

अर्थव्यवस्था: राज्य के 74 प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है साथ ही यहां 50 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। कुल कृषि क्षेत्र की करीब 15 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। केरल नारियल, रबड़, सुपारी, इलायची, गन्ना काजू, चाय, अदरक आदि फसलों का मुख्य उत्पादक राज्य है। खाद्यान्न में चावल तथा टपियोका यहां की मुख्य फसलें हैं। नारियल यहां की सबसे प्रमुख व्यापारिक फसल है। मसालों में काली मिर्च प्रमुख है। यहां चिरहरित वन हैं।

परिवहन

सड़कें: राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 219805 लाख किलोमीटर है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई करीब 1440 किलोमीटर है।

रेलवे: राज्य में रेलों का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। यहां पर 1148 किमी. लंबी रेल लाइनें हैं। इनमें बड़ी लाइनें 103686 किमी. तथा छोटी लाइनें 11114 किमी. है।

उड्डयन: तिरुवंतपुरम, कोची और कोलीकोड तीन प्रमुख हवाई अड्डे हैं। तिरुवंतपुरम, तथा कोच्चि में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है।

बन्दरगाह: 585 लंबी तटवर्ती पंक्ति में केरल में एक बड़ा बंदरगाह कोच्चि में है और 17 छोटे मध्यवर्ती बंदरगाह है।

त्योहार: ओणम केरल का विशिष्ट पर्व है। यह त्योहार फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है। ओणम पर्व राजा महावली की वापसी की खुशी में मनाया जाता है। अन्य त्योहारों में विशु, नवरात्रि, महाशिवरात्रि, वल्लमकली, पुरम् आदि उल्लेखनीय हैं। पाम्बा नदी

के तट पर हर वर्ष मरामोन सम्मेलन होता है, जो एशिया में ईसाइयों का सबसे बड़ा आयोजन है।

पर्यटन स्थल:- ठेक्की का वन्य प्राणी विहार, कोवलम तट, तिरुवंतपुरम में पद्माभस्वामी मंदिर, पथनामथिता जिले में भगवान आयप्पा का सबरीमला मंदिर, पौनमुडी, नैय्यर बांध, कालडी, कासरगौड़ा त्रिचूर जिले में कथकली का प्रसिद्ध केन्द्र कलामंडलम आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं।

हिमाचल प्रदेश:- प्राचीन काल में इस क्षेत्र की जनजातियों को दास कहा जाता था। बाद की शताब्दियों में पर्वतीय हिस्सों के मुखिया लोगों ने मौर्य, कुषाण, गुप्त राजवंशों की अधीनता स्वीकार की। 19 वीं शताब्दी में रणजीत सिंह ने इस क्षेत्र के अनेक भागों को अपने राज्य में मिला लिया। जब अंग्रेज यहां आये, तो उन्होंने गोरखा लोगों को पराजित करके कुछ राजाओं के साथ संधि कर ली और कुछ अन्य राजाओं की रियासतों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 16 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग 30 रियासतों को मिलाकर 15 अगस्त, 1948 को हिमाचल प्रदेश नामक केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1 नवंबर, 1966 को पंजाब के पुनर्गठन पर इसके कुछ क्षेत्र उसमें मिला दिये गये। अन्ततः 25 जनवरी, 1971 को इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।

भूगोल:- हिमाचल प्रदेश, हिमाचल पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच भारत के उत्तरी पश्चिमी कोने में स्थित है। इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में हरियाणा, दक्षिण पूर्व में और पूर्व में तिब्बत है। पूर्व में इसकी सीमा चीन/तिब्बत से मिली हुई है। यहां उप-उष्ण कटिबंधीय किस्म की वनस्पतियां पायी जाती हैं। हिमाचल प्रदेश की अनेक नदियों में चिनाव, रावी, व्यास, सतलज और यमुना प्रमुख हैं। ये बारहमासी नदियां हैं। इस राज्य में सामान्यतः औसत वर्षा 181.6 सेमी. होती है।

अर्थव्यवस्था:-

हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि तथा बागवानी पर आधारित है। यहां की जलवायु बागवानी और नकदी फसलों के लिए शानदार अवसर उपलब्ध कराती हैं। राज्य के महत्वपूर्ण खनिज हैं- नमक, स्लेट, जिप्सम, चूना-पत्थर, बेराइट्स, डोलोमाइट आदि। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्र के 64 प्रतिशत भाग में वन हैं। वन्य जीवों में कस्तूरी हिरन, लंबा सींग वाला जंगली बकरा, थार बकरी, साही आदि पशु और मोनल, ट्रेगोपैन, कोकियाखा आदि पक्षी उल्लेखनीय हैं।

एकीकृत टैक्सटाइल पार्क स्थापित:- हिमाचल टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड ऊना जिला की अम्बाला तहसील के अंतर्गत थाथल गांव में एकीकृत टैक्सटाइल पार्क स्थापित करेगी। इसमें 65 एकड़ भूमि पर वस्त्र उद्योग इकाईयों की स्थापना के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। प्रस्तावित एकीकृत टैक्सटाइल पार्क वस्त्र उद्योगों की स्थापना के लिए सामान्य अधोसंरचना और सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। प्रस्तावित पार्क का प्रबंधन पार्क के विकास पर 107 करोड़ रुपये का निवेश करेगा, जिसमें 2200 लोगों को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। इस पार्क को अगले वित्त वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसके बनने से ऊना जिले में औद्योगिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी।

परिवहन:-

हिमाचल प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई 36264 किलोमीटर है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1208 किमी. है। राज्य में छोटी रेल लाइन पठानकोट से जोगिन्दर नगर के बीच कांगड़ा घाटी रेल मार्ग, कालका-शिमला के बीच नैरो गेज तथा नंगला से तलवाड़ा और उना तक बड़ी रेल लाइन है। राज्य में भुतार, जब्बारहट्टी और गंगाल में तीन हवाई अड्डे हैं।

पर्यटन स्थल -

कुल्लू, कांगड़ा, रविघाटी, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, कसौली, सोलन, चैल, कुफरी आदि पर्वतीय दर्शनीय स्थल है। तीर्थयात्रियों के लिए ज्वालाजी, चामुंडा देवी, चिंतपुरी, रेणुका और रेवालसर, देवदत्त सिद्ध तथा नैना देवी उल्लेखनीय हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम चल वन्य पुष्प हाल, छारबरा, परवानू और मनाली में बहुउद्देशीय सुविधाएं उपलब्ध कराता है। निगम नरकंडा में जनवरी से मार्च के बीच स्कीइंग का पाठ्यक्रम चलाता है। नागर में होटल कैसल में एक पुरातत्व संग्रहालय भी है। चंबा जिले के खज्जर पर्यटन स्थल को हिमाचल का स्विट्जरलैण्ड कहा जाता है।

लक्षद्वीप:- अमीनद्वीप समूहों को मिलाकर एक नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है।

भूगोल:-

लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों का समूह है, जिसमें 12 प्रवाल द्वीप, तीन प्रवाल भित्ति और जलमग्न बालू के तट शामिल हैं। लक्षद्वीप भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर में अवस्थित है। यहां के कुल 36 द्वीपों में केवल 10 में आबादी है। ये द्वीप केरल 10 में आबादी है। ये द्वीप केरल तट से 8 डिग्री और 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 71 डिग्री और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य तट से लगभग 280 से 480 किमी. दूर अरब सागर में फैले हुए हैं। इसके सबसे उत्तर में चेरबनियानी रीफ है तथा सबसे दक्षिण में मिनिकोय द्वीप है। इसका मुख्यालय कवारती है। 9 डिग्री जलधारा मिनिकोय द्वीप को शेष समूहों से अलग करती है।

अर्थव्यवस्था:-

लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। इस प्रदेश की मुख्य उपज नारियल तथा नारियल जट्टा है। द्वीप में नारियल की गिरी, नारियल जट्टा, नारियल गुड, सिरका और मछली मुख्य उत्पाद है। मिनिकाय में मछलियों को डिब्बे में बंद करने का कारखाना है।

परिवहन -

द्वीपों को तीन जहाज एम.वी. अमीन दीवी, एम.वी. भारत सीमा और एम.बी. द्वीप सेतु मंगलूर और बेपूर बंदरगाहों से जोड़ते हैं।

पर्यटन स्थल -

यहां पर्यटन को एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में विकसित किया जा रहा है। फलस्वरूप सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ रिक्रियेशनल टूरिज्म नाम की एक सोसायटी कार्यरत है। यहां का प्रवाल द्वीप दर्शनीय है।

जम्मू कश्मीर -

राजतरंगिणी तथा नीलमत पुराण के अनुसार कश्मीर की घाटी पहले बहुत बड़ी झील थी। भूगर्भ शास्त्रियों के मतानुसार, भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण खदियानयार, बारामुला में पहाड़ों के घर्षण से

झील का पानी बहकर निकल गया, फलतः घाटी का निर्माण हो गया। ईसा पूर्व तीसरी सदी में सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। छठी शताब्दी के आरम्भ में कश्मीर पर हूणों का अधिकार हो गया। इसके बाद यहां पर कार्कोट, उत्पल और लोहार वंशीय राजाओं ने शासन किया। हिंदु राजाओं में ललितादित्य मुक्तापीड सबसे प्रसिद्ध राजा हुए। कश्मीर में इस्लाम का आगमन 13 वीं और 14 वीं शताब्दी में हुआ यहां के मुस्लिम शासकों में जैन उल आबदीन सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। सन् 1586 में मुगल शासक अकबर ने कश्मीर को जीत लिया। सन् 1752 में कश्मीर मुगल शासकों के हाथ से निकलकर अहमदशाह अब्दाली के पास चला गया। पठानों ने 67 वर्ष तक कश्मीर पर शासन किया। सन् 1733 से 1782 तक राजा रणजीत सिंह ने जम्मू पर राज्य किया। बाद में उन्होंने इसे पंजाब में मिलाकर डोगरा शाही परिवार के एक व्यक्ति गुलाब सिंह को जम्मू सौंप दिया। गुलाब सिंह, रणजीत सिंह के गवर्नरों में सबसे शक्तिशाली बन गया। सन् 1947 तक जम्मू पर डोगरा शासकों का आधिपत्य रहा। भारत द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर राज्य के भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किये। महाराजा के पुत्र युवराज कर्ण सिंह 1950 में रीजेन्ट बने और आनुवंशिक शासन की समाप्ति पर उन्हें सदर-ए-रियासत पद की शपथ दिलायी गयी। भारत के संविधान में उल्लेखित धारा 370 के अंतर्गत यह एक विशेषाधिकार प्राप्त राज्य है। जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान 26 जनवरी, 1957 से लागू हुआ।¹⁷

भूगोल:-

जम्मू कश्मीर राज्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन से पश्चिम से पूर्व दिशा में घिरा हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से इस राज्य को चार भागों क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला क्षेत्र कांटी पट्टी कहलाता है। जिसमें पर्वतीय इलाके और अर्द्धपर्वतीय मैदान आते हैं। दूसरे में शिवालिक पर्वतमाला सहित पहाड़ शामिल हैं, तीसरे में कश्मीर घाटी, पीरपंजाल पर्वत श्रेणियां तथा चैथे क्षेत्र में लद्दाख, कारगिल और गिलगिट के क्षेत्र हैं।

अर्थव्यवस्था:-

राज्य की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि तथा बागवानी पर निर्भर है। कश्मीर का हस्तशिल्प अपनी उत्कृष्टता और रोजगार

क्षमता के कारण हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राज्य के हथकरघा उत्पादों में मुख्य रूप से ऊनी हथकरघा वस्त्र हैं, जिनमें मोटे ऊनी वस्त्र, जैसे - टूटीड, ब्लेजर, कम्बल, शाल आदि शामिल हैं।

परिवहन -

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 823 किमी. है। 18809.42 किमी. सड़क का रखरखाव पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। श्रीनगर, जम्मू और लेह राज्य के मुख्य अड्डे हैं।

उत्तराखण्ड:- देश के 27 वें राज्य उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर, 2000 को हुई, यह उत्तरप्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 23 प्रतिशत भू-भाग पर उससे अलग होकर एक नये राज्य के रूप में बना है। भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य 28043 उत्तरी अक्षांश से 31027 उत्तरी अक्षांश तथा 77034' पूर्वी देशांतर से 81002' पूर्वी देशांतर तक स्थित है। इस राज्य के उत्तर में हिमाचल प्रदेश एवं चीन, पूर्व में नेपाल, दक्षिण में उत्तरप्रदेश तथा पश्चिम में हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश स्थित हैं। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम 320 किमी. तथा उत्तर से दक्षिण 358 किमी. है। इस राज्य का क्षेत्रफल 53483 वर्ग किमी. तथा कुल वन क्षेत्र 34651 वर्ग किमी. है।

राज्य की कुल जनसंख्या 848949 है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरांचल का देश में 19 वां स्थान है। देश के 10 हिमालयी राज्यों में यह सबसे नया राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है। राज्य में साक्षरता दर 71.62 प्रतिशत है। इस राज्य का मात्र 13 प्रतिशत भू भाग मैदानी है, शेष 87 प्रतिशत भू-भाग पहाड़ी है। धार्मिक स्थलों, वनों एवं प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर पर्वतीय स्थानों के लिए मशहूर यह राज्य पर्यटन की दृष्टि से देश का एक प्रमुख राज्य है। इसकी राजधानी देहरादून में एवं उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थापित किया गया है। 1 जनवरी, 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया।

निष्कर्षतः भारत में क्षेत्रीय विकास की प्रक्रिया सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताओं से प्रभावित रही है। स्वतंत्रता के पश्चात् प्रशासनिक पुनर्गठन तथा नए राज्यों के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संबोधित करना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना तथा स्थानीय संसाधनों के आधार पर विकास को गति प्रदान करना रहा है। इसी संदर्भ में बृज प्रदेश की क्षेत्रीय विकास-सम्भावनाओं तथा नवगठित भारतीय राज्यों के विकास अनुभवों का तुलनात्मक अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है।

संदर्भ सूची -

1. सिंह कुंवर कौशलेन्द्र प्रताप, आगरा संयुक्त प्रान्त पुस्तिका, 2005।
2. आई.ए.एस. बुक 24 फरवरी 2019।
3. राष्ट्रीय एटलस मानचित्रावली
4. भारतीय संविधान का आर्टिकल 2-3
5. द हिन्दू- 05 सितम्बर 2012
6. मैमोरेण्डम ऑफ सेटलमेंट ऑन बोडोलैण्ड टैरीटोरियल काउन्सिल 10 फरवरी 2003।
7. स्टेट रीआर्गेनाइजेशन एक्ट 1956
8. डिमांड फार सेपरेट कच्छ स्टेट पिक्स पेस इन पोल रन-अप 3 सितम्बर 2016
9. कॉल टू रिवाइव मूवमेन्ट फॉर सेपरेट सौराष्ट्र स्टेट 5 मार्च 2016
10. भट्टाचार्य पी.के. (1977) हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ मध्यप्रदेश फार्म अर्ली रिकॉर्ड्स पृष्ठ संख्या 54
11. अम्बेडकर, वी.आर (1989) डा. बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एण्ड स्पीच। वॉल्यूम 1 एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेन्ट ऑफ महाराष्ट्र।
12. ब्रास, पॉल आर (1984): लैंग्वेज, रिलीजन एण्ड पालिटिक्स इन नॉर्थ इण्डिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस कैम्ब्रिज।

13. कास्ट, फेक्शन एण्ड पार्टी इन इण्डियन पॉलिटिक्स वॉल्यूम, चाणक्य पब्लिकेशन दिल्ली।
14. 1985 कास्ट, फेक्शन एण्ड पार्टी इन इण्डियन पॉलिटिक्स इलैक्शन स्टैडिज, वॉल्यूम चाणक्य पब्लिकेशन दिल्ली।
15. 2000: द उत्तरांचल मूवमेन्ट: कन्स्ट्रैक्शन ऑफ ए रिजनल आईडेंटिटी, कनिष्का पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली।
16. समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश: मैमोरेण्डम चार्टर ऑफ डिमाण्ड ऑफ द हाई चार्टर ऑफ डिमांड ऑफ द कोर्ट वेन्च, संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश।
17. सिंह, जगपाल 1992: कैपिटलिज्म एण्ड डिपेन्डेंस: अग्रेरियन पॉलिटिक्स इन वेस्टर्न उत्तरप्रदेश, 1951-1991, मनोहर, दिल्ली